आदेश

उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बाड़मेर

06.06.2018 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत बमुकाम अटल सेवा केन्द्र गालाबेरी पर पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उत्तरदाता संख्या 06 व 13 उपस्थित, जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत गालाबेरी द्वारा दी गई। उपस्थित उत्तरदातागण द्वारा अपील के जवाब में अपीलार्थी के नाम शुद्धिकरण में सहमति व्यक्त की है। भू–अभिलेख निरीक्षक सरली एवं पटवारी हल्का शिकवर ने अपने प्रतिवेदन में अपीलार्थी कलाराम के वल्दियत वगताराम होना अंकित करते हुए स्वर्गीय तुलसाराम की वंश वृक्षावली प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी कलाराम को वगताराम का पुत्र होना अंकित किया है। अपीलार्थी ने अंकित किया है कि नामान्तकरण संख्या 57 ग्राम गालाबेरी पर पारित आदेश में अपीलार्थी का नाम कल्याणराम पुत्र तुलसाराम अंकित किया है, जो अशुद्ध नाम है। अपीलार्थी ने उक्त आदेश को निरस्त कर राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी का सही नाम कलाराम पुत्र वगताराम अंकित किये जाने निवेदन किया है।

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान–2018 हेतु आयोजित शिविर में इस प्रकरण में मजमे आम में सुनवाई की गई तथा उपस्थित काश्तकारान एवं सरपंच ग्राम पंचायत गालाबेरी तथा भू–अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का शिवकर ने भी प्रस्तुत प्रतिवेदन में अपीलार्थी का सही नाम कलाराम पुत्र वगताराम अंकित किये जाने की अनुशंसा की है।

(अचलाराम सिरोल)
सरपंच
ग्राम पंचायत गालाबेरी
प.स.बाड़मेर

अतः अपील अपीलर्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 57 ग्राम गालाबेरी पर पारित आदेश निरस्त

तरीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील संख्या 13/2017 अनवान कलाराम बनाम ग्राम पंचायत गालाबेरी
	किया जाकर अपीलार्थी का सही नाम सह खातेदारान् के साथ कलाराम पुत्र वगताराम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदानुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर

Scanned by CamScanner